

संघीय गणराज्य

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276259
CG-DL-E-16092026-276259

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4890]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2026/भाद्र 25, 1948

No. 4890]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2026/BHADRA 25, 1948

गृह मंत्रालय
(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)
वधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2026

का.वा. 5081(व).— केन्द्रीय सरकार, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 12) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 अक्टूबर, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 1/7/2025-बीएस(सीआरएस)]

मृत्युंजय कुमार नारायण, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Office of the Registrar General of India)
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2026

S.O. 5081(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2026 (12 of 2026), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 2026, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/7/2025-VS(CRS)]

MRITUNJAY KUMAR NARAYAN, Registrar General of India and Census Commissioner